

राजस्थान-सरकार,,

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांक : एफ6(22)प्राशिनि/ई-1/सी-2/कैम्प जयपुर-1

दिनांक :- 04.11.2022

:: कार्यालय-आदेश ::

निम्नलिखित अराजपत्रित संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण/ पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थान/ कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं। संस्था/ कार्यालय प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त कर निदेशालय को अवगत करावें:-

क.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1	अल्लमश बेग	कनिष्ठ सहायक	राज. पॉलि. महा. झालावाड	राज. पॉलि. महा. बारां में रिक्त पद पर
2	लवकुश	कनिष्ठ सहायक	राज. पॉलि. महा. प्रतापगढ़	राज. पॉलि. महा. धौलपुर में रिक्त पद पर
3	अशोक कुमार मीणा	वरिष्ठ सहायक	राज. महिला पॉलि. महा. जयपुर से राज. पॉलि. महा. बारां स्थानान्तरणाधीन	राज. रामचन्द्र खेतान पॉलि. जयपुर में रिक्त पद पर
4	विजय कुमार शर्मा	सहा. प्रशा. अधि.	राज. पॉलि. महा. सीकर	राज. पॉलि. महा. अलवर रिक्त पद पर
5	अनिल चतुर्वेदी	तकनीशियन विद्युत	राज. पॉलि. महा. चित्तौड़गढ़	राज. पॉलि. महा. सिरोही में रिक्त पद पर
6	सुष्मिता	कनिष्ठ सहायक	राज. पॉलि. महा. जालौर	राज. पॉलि. महा. पाली में रिक्त पद पर
7	समय सिंह मीना	कनिष्ठ सहायक	राज. पॉलि. महा. बारां	राज. पॉलि. महा. करौली में रिक्त पद पर
8	तेजेन्द्र सिंह राठौड	वरिष्ठ सहायक	राज. पॉलि. महा. नावां, नागौर	राज. पॉलि. महा. जोधपुर में रिक्त पद पर
9	वेद प्रकाश गुप्ता	तकनीशियन (इलैक्ट्रॉनिक्स)	राज. पॉलि. महा. पाली	राज. पॉलि. महा., भरतपुर तकनीशियन रिक्त पद पर

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। उक्त कार्मिकों का स्थानान्तरण स्वयं की प्रार्थना पर होने से यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

निदेशक, तकनीकी शिक्षा

दिनांक :- 04.11.2022

क्रमांक : एफ6(22)प्राशिनि/ई-1/सी-2/कैम्प जयपुर-1

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, झालावाड़/ बारां/ प्रतापगढ़/ धौलपुर/ जयपुर/ सीकर/ अलवर/ चित्तौड़गढ़/ सिरोही/ जालौर/ पाली/ करौली/ नावां (नागौर)/ जोधपुर/ पाली/ भरतपुर एवं राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, गांधीनगर, जयपुर संबंधित कार्मिक को बिना किसी पत्र व्यवहार किये तत्काल कार्यमुक्त करने/कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण करने की सूचना ई-मेल करते हुए डाक द्वारा तत्काल प्रेषित करावें।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान।
5. निजी पत्रावली निदेशालय/संस्थान।

निदेशक, तकनीकी शिक्षा

३